आधुनिक श्रम संहिताएँ: भविष्य के लिए तैयार कार्यबल की ओर भारत की छलांग

UPSC प्रासंगिकता: **GS-पेपर - 3 (अर्थव्यवस्था और रोजगार)**

खबरों में क्यों?

21 नवंबर 2025 को, भारत ने सभी **चार श्रम संहिताओं (Labour Codes)** को लागू कर दिया, जिसने **29 केंद्रीय श्रम कानूनों** को चार आधुनिक कानूनों में समेकित कर दिया। इस सुधार का उद्देश्य कर्मचारियों को **उचित सुरक्षा** प्रदान करना, उद्यमों की **प्रतिस्पर्धात्मकता** बढ़ाना, **औपचारिकीकरण (formalisation)** का समर्थन करना और **विकसित भारत** एवं **आत्मनिर्भर भारत** के भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि

- भारत के श्रम कानून दशकों में विकसित हुए, जिससे एक **खंडित नियामक ढाँचा** तैयार हो गया। प्रमुख समस्याओं में शामिल थे:
  - ओवरलैप करने वाले कानून और असंगत परिभाषाएँ।
  - **अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector)** के श्रमिकों का सीमित कवरेज।
  - धीमा विवाद समाधान और जटिल अनुपालन।
- **द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग** ने कानूनों के समेकन (consolidation) की सिफारिश की थी। उद्योग, ट्रेड यूनियनों और राज्यों के साथ परामर्श के बाद, निम्नलिखित संहिताएँ अधिनियमित की गईं:
  - मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)
  - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)
  - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 (OSH Code, 2020)

ये संहिताएँ अनुपालन को आधुनिक बनाने, उत्पादकता में सुधार करने और कर्मचारी सुरक्षा का विस्तार करने का लक्ष्य रखती हैं।

भारत का कार्यबल: आकार और रुझान

- **कुल कार्यबल:** 643 मिलियन, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़े और सबसे युवा कार्यबल में से एक है।
- **रोजगार के रुझान (2017–18 से 2023–24):**
  - 16.83 करोड़ नौकरियाँ सृजित हुईं।
  - बेरोज़गारी 6% से घटकर **3.2%** हुई।
  - **औपचारिक रोज़गार** में वृद्धि हुई।

एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) के कारण, सुरक्षा का विस्तार करने और उत्पादकता में सुधार के लिए **सरल, सुसंगत श्रम कानूनों** की आवश्यकता थी।

श्रम संहिताओं की मुख्य बातें

1. कर्मचारी सुरक्षा को मजबूत करना

- **सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी (Universal minimum wage)** और राष्ट्रीय फ्लोर वेज (National Floor Wage)।
- अनिवार्य **नियुक्ति पत्र** और समय पर मजदूरी का भुगतान।
- मानकीकृत कार्य घंटे (**48 घंटे का कार्य सप्ताह**)।
- OSH संहिता सुरक्षा समितियों, निवारक स्वास्थ्य जाँच और बेहतर कार्यस्थल मानकों को **अनिवार्य** करती है।

2. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार

- बिना किसी भौगोलिक प्रतिबंध के **सार्वभौमिक ESIC कवरेज**।
- सुव्यवस्थित **EPF प्रक्रियाएँ**।
- निर्माण श्रमिकों के लिए सरल उपकर (cess) भुगतान के माध्यम से समर्थन।
- असंगठित, **गिग (Gig) और प्लेटफॉर्म श्रमिकों** के लिए **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष**।
    - गिग कार्यबल का 2029–30 तक 1 करोड़ से बढ़कर **2.35 करोड़** होने की उम्मीद है।

3. अनुपालन का सरलीकरण

- **एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस, एकल रिटर्न** की व्यवस्था।
- मजदूरी की **एकरूप परिभाषा**।
- छोटे-मोटे अपराधों को **गैर-अपराधीकरण (Decriminalisation)**।
- MSMEs के लिए प्रशासनिक बोझ को कम करने हेतु **डिजिटल निरीक्षण**।

4. भविष्य के कार्य के लिए तैयारी

- **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों** को शामिल करना।
- सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए **लचीली कार्य व्यवस्था**।
- औपचारिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना।

महिला सशक्तिकरण

- **महिला श्रम बल भागीदारी:** 32.8% (ILO, 2024)।
- श्रम संहिताएँ निम्नलिखित को मजबूत करती हैं:
    - **समान पारिश्रमिक**।
    - **मातृत्व लाभ**।
    - गिग/असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा।
    - OSH संहिता **सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ रात में काम करने** की अनुमति देती है।
- **प्रभाव:** महिलाओं के लिए अधिक भागीदारी, सुरक्षित कार्यस्थल और रोज़गार की निरंतरता।

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
9235313184, 9235440806

कर्मचारी सुरक्षा और व्यावसायिक आवश्यकताओं में संतुलन

ये संहिताएँ निम्नलिखित के बीच संतुलन साधती हैं:

- मजबूत कर्मचारी अधिकार।
- स्पष्ट औद्योगिक संबंध मानदंड।
- तेज़ विवाद समाधान।
- पारदर्शी अनुपालन।

यह **औपचारिकीकरण, निवेश और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण** को प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता और श्रमिक कल्याण दोनों मजबूत होते हैं।

आगे की राह (Way Forward)

- राज्यों के सरेखण और **समान कार्यान्वयन** को सुनिश्चित करना।
- अनौपचारिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक **कवरेज का विस्तार** करना।
- डिजिटल अनुपालन और शिकायत निवारण को बढ़ावा देना।
- महिला कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- सुरक्षा और प्रतिस्पर्धात्मकता के बीच संतुलन बनाए रखना।

निष्कर्ष

चार श्रम संहिताएँ भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करती हैं, पुराने कानूनों को चार व्यापक ढाँचों में समेकित करती हैं। वे **स्पष्टता, सुरक्षा और लचीलापन** प्रदान करती हैं, भारत के कार्यबल को एक **औपचारिक, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था** के लिए तैयार करती हैं, जो **विकसित भारत** और **आत्मनिर्भर भारत** के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS-3 / अर्थव्यवस्था और रोज़गार)

प्रश्न: "भारत की चार श्रम संहिताएँ एक आधुनिक और समावेशी श्रम पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं।" चर्चा कीजिए कि ये सुधार कर्मचारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अनुपालन सरलीकरण और भविष्य के कार्य को कैसे संबोधित करते हैं। महिला भागीदारी, कार्यबल के औपचारिकीकरण और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)